इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 **द्वारा प्रमाणित)**

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : **12** **अंक संख्या**: **1** **सितम्बर, 2019** **पृष्ठों की संख्या** 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ----------4
बीमा ----------6
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------6
विदेशी मुद्रा ----------6
शब्दावली ----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------8
संस्थान समाचार ----------9
नयी पहलकदमी ----------12
प्रशिक्षण ----------13
बाजार की खबरें ----------14

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

3री द्विमासिक मौद्रिक नीति की मुख्य विशेषताएँ

मौद्रिक नीति समिति की तीसरी द्विमासिक बैठक 7 अगस्त, 2019 को आयोजित की गई। उक्त बैठक के प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार थे :

- पुनर्खरीद (repo) दर 35 आधार अंक घटाकर 5.4% कर दी गई।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अधीन प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर संशोधित करके 5.15% कर दी गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर संशोधित करके 5.65% कर दी गई।

24x7 नेफ्ट, बीबीपीएस और भुगतान धोखाधड़ी रजिस्ट्री पर अधिक बिलरों की शुरूआत

भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (नेफ्ट) चैनल को 24x7 सेवा में परिवर्तित करने तथा देश में भुगतानों के पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य उपायों के साथ ही कुछेक खुदरा भुगतान प्रणालियों में सदा-सुलभ (on-tap) सहभागिता सुनिश्चित किए जाने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के लिए बिलर श्रेणियों को विस्तृत करने का भी निर्णय लिया है। पुनरावर्तक बिल भुगतानों हेतु एक अंतर-परिचालनीय प्लेटफार्म भारत बिल भुगतान प्रणाली

में वर्तमान में पाँच खंडों - सीधे घर को (DTH), बिजली, गैस, दूरसंचार और पानी के बिलों का समावेश है। जोखिम के विविधीकरण से लाभ उठाने के उद्देश्य से तथा नवोन्मेष एवं प्रतियोगिता को प्रोत्साहित कने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत बिल भुगतान की परिचालनरत इकाई (BBPOU), व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (TReDS) और श्वेत लेबल एटीएमों (WLAs) के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की इच्छुक कंपनियों को सदा-सुलभ प्राधिकरण प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत बिल भुगतान की परिचालनरत इकाई के क्षेत्र में प्रचालक के रूप में आठ, व्यापारिक प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली में तीन तथा श्वेत लेबल एटीएम प्रचालक के रूप में आठ बैंकेतर संस्थाएं मौजूद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी रजिस्ट्री की स्थापना की भी घोषणा की है। वर्तमान में बैंकों के लिए सभी बैंकिंग धोखाधड़ियों की भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष को रिपोर्ट किए जाने की व्यवस्था मौजूद है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु कदम उठाए

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को उधार देने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके (बैंकों के) लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक्सपोजर सीमा को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) एवं आवास को पुन: उधार देने हेतु बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (PSL) के रूप में वर्गीकृत किए जाने की अनुमति दे दी है। एकल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रति प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमा को सामान्य सीमा से सुसंगत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एकल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रति बैंक की एक्सपोजर सीमा को इस समय लागू 15% से बढ़ा कर बैंक की टियर 1 पूंजी की 20% करने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय बैंक ने (कुछेक शर्तों के अधीन) पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को छोडकर) को कृषि को 10 लाख रुपए तक, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक तथा आवास को प्रति उधारकर्ता 20 लाख रुपए तक (जो वर्तमान में 10 लाख रुपए से अधिक है) पुन: उधार (निवेश ऋण) देने हेतु दिये गए उधार को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकृत किए जाने की

कर दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋणों पर जोखिम-भार घटाए

उपभोक्ताओं को ऋण-प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वैयक्तिक ऋणों सहित अप्रतिभूत उपभोक्ता ऋणों पर जोखिम-भार को पूर्ववर्ती 125% से कम करके 100% कर दिया है। इस मुहिम से बैंकों को पूंजी संरक्षण में सहायता प्राप्त होगी। यह उपाय बैंकों को उधार देने हेतु अधिक सुविधा प्रदान करते हुये पूंजी को मुक्त करने में सहायक होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम लेनदेनो से संबन्धित नियमों में ढील दी

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हार्डवेयर, साफ्टवेयर, संचार से संबन्धित मुद्दों जैसे तकनीकी कारणों और करेंसी नोटों की अनुपलब्धता के कारण विफल होने वाले एटीएम लेनदेनो को उपभोक्ता के लिए वैध लेनदेन नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ यह है कि ऐसे लेनदेनो को मुफ्त/नि:शुल्क एटीएम लेनदेनो में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे लेनदेनो, जो तकनीकी कारणों से तथा अन्य अस्वीकरणों जो प्रत्यक्ष/पूर्ण रूप से बैंक/सेवा-प्रदाता; अवैध पिन/वैधीकरण आदि पर आरोप्य हों, पर किसी प्रकार का प्रभार वसूल नहीं किया जा सकता।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में शामिल निदेशकों के लिए मानदंडों को कठोर बनाया

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा नियंत्रित बैंकों के बोर्डों में शामिल निदेशकों के लिए योग्य एवं उपयुक्त मानदंड को कठोर बना दिया है तथा यह कहा है कि केंद्र के नामिती निदेशक को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (NRC) का अंग नहीं होना चाहिए। उक्त संशोधित मानदंडों में पहली बार निदेशकों कई निरर्हता (disqualification) के लिए एक व्यापक सूची निर्धारित की गई है। नामांकन एवं पारिश्रमिक से संबन्धित शर्तों और

निदेशकों की नियुक्ति की रीति को निजी बैंकों में विद्यमान प्रथा, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा की गई सिफ़ारिशों तथा कंपनी अधिनियम में मौजूद प्रावधानों से संरेखित कर दिया गया है।

विनियामक सैंडबाक्स : भारतीय रिजर्व बैंक ने निवल मालियत, विनियामक मानदंडों में ढील दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक सैंडबाक्स के लिए निर्णायक समर्थकारी ढांचा जारी कर दिया है। फिंटेक फर्मों के लिए विनियामक सैंडबाक्स हेतु अपने निर्णायक दिशानिर्देशों में भारतीय रिजर्व बैंक ने आवेदकों के लिए न्यूनतम निवल मालियत संबंधी आवश्यकता को शिथिल करते हुये उसे पूर्ववर्ती 50 लाख रुपए घटाकर 25 लाख रुपए कर दिया है जबकि यह भी विनिर्दिष्ट कर दिया है कि वह चलनिधि, बोर्ड की संरचना, प्रबंधन के अनुभव, वित्तीय सुदृढ़ता तथा पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड से संबन्धित विनियामक अपेक्षाओं में ढील देगा। इसके अतिरिक्त, भारत में किसी कानून के अधीन गठित बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं आवेदन करने की पात्र होंगी। विनियामक सैंडबाक्स में प्रवेश के लक्ष्यांकित आवेदक हैं स्टार्ट-अपों सहित फिंटेक कंपनियाँ, बैंक, वित्तीय संस्थाएं तथा वित्तीय सेवा व्यवसायों में भागीदारी करने वाली या सहायता प्रदान करने वाली कोई भी अन्य कंपनी। किसी फिंटेक के मामले में विनियामक सैंडबाक्स से बाहर निकलने हेतु नोटिस की अवधि पूर्ववर्ती एक सप्ताह से बढ़ाकर एक माह कर दी गई है। ग्राहकों के हितों को सुरक्षित रखने हेतु सैंडबाक्स कंपनियों के लिए एक पर्याप्त रकम और अवधि की/का देयता/दायित्व स्वीकार करना अथवा क्षतिपूर्ति बीमा करवाना आवश्यक होगा। उक्त पालिसी सुरक्षा की शुरूआत परीक्षण वाले चरण के प्रारम्भ से होनी तथा सैंडबाक्स कंपनी के विनियामक सैंडबाक्स से बाहर निकलने के छ: माह पश्चात समाप्त होनी चाहिए। यह विनियामक सैंडबाक्स अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय समावेशन, भुगतानों एवं उधार देने तथा डिजिटल अपने ग्राहक को जानिए पर ध्यान केन्द्रित रखते हुये प्रातिपदिक सहगणों (cohorts) पर आधारित होनी चाहिए। उक्त सहगण भिन्न-भिन्न समयावधियों तक जारी रखे जा सकते हैं, किन्तु उन्हें सामान्यतया छ: माह के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। जिनमें विनियामक सैंडबाक्स लागू किए जा सकते हैं उन उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों की सांकेतिक सूची में खुदरा भुगतानों, धन अंतरण सेवाओं, बाजार में उधार, मोबाइल प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, डाटा विश्लेषण तथा अनुप्रयोग क्रमादेश अंतरापृष्ठ (API) सेवाओं का समावेश है।

बीमा

इर्डाई ने विनियामक सैंडबाक्सों के लिए एकल संपर्क बिन्दु की स्थापना की

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अपनी विनियामक सैंडबाक्स पहलकदमी के लिए एक ऐसे एकल संपर्क बिन्दु की स्थापना की है जिसमें वित्तीय प्रौद्योगिकी फ़र्में उक्त क्षेत्र के विकास/संवृद्धि के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोणों के संबंध में में प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त कर सकती हैं।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
कोटक महिंद्रा बैंक	ओला	बैंक के ग्राहकों को बैंकिंग एप से सीधे ही सवारी बुक करने में समर्थ बनाना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	30 अगस्त, 2019 के दिन बिलियन रुपए	30 अगस्त, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	30,63,055.0	4,28,604.0
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,29,979.05	3,96,005.0
1.2 सोना	1,96,880.0	27,550.0
1.3 विशेष आहरण अधिकार	10,242.0	1,433.0
1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	25,954.0	3,617.0

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सितंबर, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.79990	1.53900	1.42200	1.37300	1.34000
जीबीपी	0.66630	0.651	0.6206	0.6046	0.5933
यूरो	-0.49000	-0.550	-0.561	-0.5504	-0.516
जापानी येन	-0.07130	-0.118	-0.144	-0.158	-0.158
कनाडाई डालर	2.50000	1.653	1.589	1.557	1.532
आस्ट्रेलियाई डालर	0.84100	0.730	0.730	0.820	0.860
स्विस फ्रैंक	-0.91500	-0.952	-0.977	-0.944	-0.876
डैनिश क्रोन	-0.39640	-0.449	-0.454	-0.441	-0.418
न्यूज़ीलैंड डालर	1.02300	0.920	0.901	0.910	0.943
स्वीडिश क्रोन	-0.10500	-0.178	-0.198	-0.180	-0.149
सिंगापुर डालर	1.65100	1.578	1.558	1.543	1.530
हांगकांग डालर	2.20000	1.930	1.780	1.690	1.635
म्यामार	3.21000	3.170	3.200	3.210	3.230

शब्दावली

विनियामक सैंडबाक्स (RS)

विनियामक सैंडबाक्स किसी नियंत्रित/जांचपरक विनियामक वातावरण में नये उत्पादों अथवा सेवाओं की ऐसी जीवंत (live) जांच होती है जिसके लिए विनियामक जांच के सीमित उद्देश्य से कुछेक विनियामक छूटों की अनुमति दे सकता है (अथवा नहीं दे सकता)। विनियामक सैंडबाक्स विनियामक, नवोन्मेषकों, (प्रौद्योगिकी के संभाव्य परिनियोजकों के रूप में) वित्तीय सेवा-प्रदाताओं तथा (अंतिम प्रयोक्ताओं के रूप में) ग्राहकों को नये वित्तीय नवोन्मेषों से होने वाले लाभों और जोखिमों के संबंध में उनसे पैदा होने वाले जोखिमों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखते हुये तथा उन्हें रोकते हुये साक्ष्य एकत्रित करने हेतु क्षेत्र परीक्षण करने की अनुमति देता है। यह विनियामक के लिए पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) में संलग्न होने तथा ऐसे नवोन्मेष समर्थकारी या नवोन्मेष-अनुक्रियाशील विनियमन विकसित करने के संरचनागत अवसर उपलब्ध

करा सकता है जो सुसंगत, अल्प-लागत वाले वित्तीय उत्पादों की सुपुर्दगी को सुगम बनाते हों।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

न्यूनतम प्रतिलाभ दर (Hurdle Rate)

न्यूनतम प्रतिलाभ दर किसी परियोजना या निवेश पर किसी प्रबन्धक या निवेशक द्वारा अपेक्षित प्रतिलाभ की न्यूनतम दर होती है। यह मौजूद जोखिम के स्तर हेतु उपयुक्त प्रतिकर को वर्णित करती है –सामान्यतया कम जोखिम की तुलना में अधिक जोखिम वाली परियोजनाऑ में उच्चतर न्यूनतम प्रतिलाभ दर निहित होती है। दर का निर्धारण करने के उद्देश्य से जोखिमों, पूंजी की लागत, उसी प्रकार के निवेशों पर होने वाले प्रतिलाभ तथा निवेश को प्रभावित कर सकने वाली किसी भी अन्य बात पर आवश्यक रूप से विचार कर लिया जाना चाहिए।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

सितम्बर, 2019 के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र	23 से 25 सितम्बर, 2019 तक	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत प्रशिक्षण	18 से 20 सितम्बर, 2019 तक	वीसीआरटी
बैंकिंग में अनुपालन पर कार्यक्रम	19 से 21 सितम्बर, 2019 तक	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोपरान्त भौतिक कक्षा में शिक्षण	16 से 18 सितम्बर, 2019 तक	नई दिल्ली
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	19 से 21 सितम्बर, 2019 तक	कोलकाता
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर परीक्षोपरान्त भौतिक कक्षा में शिक्षण	25 से 27 सितम्बर, 2019 तक	नई दिल्ली

संस्थान समाचार

वार्षिक साधारण सभा

संस्थान की 92वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 23 अगस्त, 2019 को अपरान्ह 4.00 बजे सम्मेलन कक्ष, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फ़ाइनैन्स, मेकर टावर, एफ विंग, 19वीं मंजिल, कफ़ परेड, मुंबई -400 005 में किया गया। मामला अध्ययन प्रतियोगिता के विजेताओं और संस्थान की विविध परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार राशि का वितरण किया गया।

6 सितम्बर, 2019 को दिल्ली में एक-दिवसीय कार्यशाला

संस्थान द्वारा दिल्ली में "दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016" पर एक एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बैंकरों के बीच दिवाला और दिवालियापन संहिता के बारे में अधिकाधिक जागरूकता पैदा करना था। उक्त अवसर के लिए मुख्य अतिथि थे भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष डा. एम. एस. साहू। विशेष व्याख्यान पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुनील मेहता द्वारा दिया गया। इसमें वरिष्ठ बैंकरों की अच्छी-ख़ासी सहभागिता रही। समापन सत्र को एनसीएलएटी प्रमुख माननीय न्यायाधीश श्री मुखोपध्याय द्वारा संबोधित किया गया।

चेन्नै कोलकाता में कार्यशालाएं

संस्थान चेन्नै स्थित डिजिटल सिक्योरिटी एसोसिएशन आफ इंडिया के सहयोग से 13 सितंबर, 2019 को क्वालिटी इन, साबरी ग्रैंड, #29, तिरुमलाई रोड, टी नगर, चेन्ने -600 017 में "बैंकिंग टुडे : सिक्योर-ई-बैंकिंग" पर एक एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

संस्थान द्वारा 26 सितंबर, 2019 को कोलकाता में ताज बंगाल क्लब लिमिटेड, 33 बी

चौरंगी रोड, 1/1 रसेल स्ट्रीट, कोलकाता में "इमर्जिङ्ग टेकनालोजीस" पर एक अर्ध-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

8वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) की शुरूआत

संस्थान बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्यपालकों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) नामक एक प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन करता है। सत्रों का संचालन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स के कुर्ला, मुंबई स्थित लीडरशिप सेंटर में किया जाता है तथा इनका आयोजन सप्ताहांत में/बैंक अवकाश के दिन किया जाता है। 8वें बैच की शुरूआत जुलाई, 2019 से की जाएगी। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

कारबार संपर्कियों (BCs) का अनिवार्य प्रमाणन

दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कारबार संपर्कियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा समयोचितता के साथ प्रमाणित किया जाना अनिवार्य कर दिया है। यह कार्य स्तरों में एकरूपता और कारबार संपर्कियों की एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी अडचन के बिना भावी सचलता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। कारबार संपर्की प्रमाणन हेतु समय-सरणियाँ

निर्धारित कर दी गई हैं। कारबार संपर्की प्रमाणन की आवश्यकता पूरी करने हेतु उक्त परीक्षा
संचालित करने के लिए तीन भिन्न-भिन्न माडल तैयार किए गए हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स भुगतान बैंकों के कारबार संपर्कियों के लिए भी एकमात्र प्रमाणन एजेंसी होगा। संस्थान द्वारा इन बैंकों के लिए अलग से एक प्रमाणपत्र परीक्षा तैयार की गई है।

बैंकों में क्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

जुलाई -सितंबर, 2019 के बैंक क्वेस्ट के अंक के लिए अभिज्ञात विषय-वस्तु है: "बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) **संस्थान द्वारा फरवरी, 2019 से जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए आयोजित की**

जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी

अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2018 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

प्रशिक्षण

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकरियों के लिए विभिन्न विषयों तथा क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

सदस्यों से अनुरीढ़ है की वे संस्थान के पास मौजूद अपने ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

ऋण प्रबंधन
ऋण मूल्यांकन
ऋण निगरानी
वसूली प्रबंधन
उन्नत ऋण मूल्यांकन
एकीकृत खजाना प्रबंधन
खुदरा बैंकिंग
आवास वित्त
जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा

सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

शाखा प्रबन्धकों का कार्यक्रम
हानि वहन करने वाली शाखाओं के लिए
कायापलट रणनीतियाँ
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/
आतंकवाद की रोकथाम
अनुपालन

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुभवी एवं अर्हताप्राप्त संकाय सदस्य - प्रशिक्षु -उन्मुख पद्धति
शिक्षण को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण

चेन्नै, नयी दिल्ली और कोलकाता स्थित व्यावसायिक विकास केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

कृपया और अधिक विवरण के लिए इनसे संपर्क करें :
डा. टी. सी. जी. नंबूदिरी, निदेशक (प्रशिक्षण)
ईमेल: drnamboodiri@iibf.org.in

फोन : 022 25037119; सेल +91 99203 78486 इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग अथवा एंड फाइनैन्स (आईआईबीएफ)

सुश्री रविता वाधवा, उप निदेशक-प्रशिक्षण
फोन +91-22-25047112; सेल +9198718 99953
ईमेल ravita@iibf.org.in

कारपोरेट कार्यालय, 3री मंजिल, कोहिनूर सिटी कमर्शियल ई टावर-ई, मुंबई -400 070, भारत
www.iibf.org.in

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2
5
4.8

फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019,जुलाई, 2019

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, जुलाई, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

95
90
85 अमरीकी डालर
80 जीबीपी
75 यूरो
70 येन

65
60

15

55
50

फरवरी, 2019, मार्च, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019
स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क बोर्ड आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2019

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

42000.00
40000.00
38000.00
36000.00
34000.00
32000.00
30000.00

मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

16

समग्र जमा वृद्धि %

12
11
10
9
8
7
6
5

जनवरी, 2019, फरवरी, 2019, मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2019

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन सितम्बर, 2019